



THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

TO BE PUBLISHED IN PART III, SECTION 4 OF THE GAZETTE OF INDIA)

NOTIFICATION (Chartered Accountants)

Date:06/04/2015

No.1-CA(7)/(170)2015

In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council in Kalaburgi (Gulbarga District), Karnataka with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Kalaburgi (Gulbarga) Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include all the places within Kalaburgi (Gulbarga) District.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

(V. Sagar)
Acting Secretary



THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

(भारत का राजपत्र, भाग III खण्ड 4 में प्रकाशनार्थ)

अधिसूचना

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

स० 1- सीए (7)170/2015

दिनांक- 06-04-2015

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की एक शाखा की दिनांक-10-02-2015 से कालाबुरगी (गुलबर्गा जिले) में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की कालाबुरगी (गुलबर्गा) शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कालाबुरगी (गुलबर्गा जिले) के सभी स्थान आयेंगे।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव